

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या-४ / यो० बजट-४६/२०१५ व०प०, राँची, दि०-०३.११.२०१५

प्रेषक,

४० के० रस्तोगी सरकार के विशेष सचिव।

सूचा ३

महालेखाकार (ले० एवं ह०).
प०—डॉरप्पा।
झरखड, रौची।

卷之三

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

240

आन्तरराष्ट्रीय वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनातर्गत “इको विकास, वन्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता” योजना के अधीन कुल 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

- वित्त विभाग, झारखण्ड, रोडी का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015
 - दिनांकित स्तरी० सं-०-४/ग्र०-४६/२०१५-०५/स्त्री०, दि०-१२.०६.२०१५

ମହାରାଜ

अलंकृत प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश संख्या-4 / दं.०८०-४६ / २०१५-०५ / स्वी.०. दि०-१२.०६. २०१५ को एतद द्वारा निरस्त करते हुए जरकर द्वारा सुनिवेश उन प्रबंधन से संबंधित निर्वात संकल्प संख्या-३६५८ दिनांक-२७.०९.२००१ एवं संकल्प संख्या-६०२३ दिनांक-१५.११.२००७ ने निहित प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में “इको फिल्म लाइट प्राइवी शिक्षा एवं जागरूकता” योजना के अधीन कुल २००.०० लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-१) को स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत राशि कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-१) में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

3. ईको विकास समितियों को अनुभव्य राशि का सीधा हस्तांतरण (DBT) उनके ईक लोकप्रा

4. उपलब्ध करायी जाने वाली राशि की सूचना संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा जनरेटिंग इंको विकास समितियों को दी जाएगी, जिनके द्वारा समिति की वैठक करते हुए आम सम्मिति से प्रस्ताव तैयार कर अपने वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित किए जाएंगे। समर्पित किए गए प्रस्तावों की वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर समीक्षा प्रशान्त नियमानुसार स्वीकृति देने हुए कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को लोनेतियार किए जा रहे कार्यों की विवरणी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको प्रति वन एवं पर्यावरण विभाग को दी जायेगी।

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु वन प्रमंडल स्तर पर कार्य दौर्जन्य तैयार करवाते हुए अनुमोदित की जायेगी, जिसकी दिवरणी विभाग में समर्पित की जायेगी;

7. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्ष/इकाइवार राशि ऊ मदवार विवरणी निम्नवत् है:-
(राशि लाख रुपये में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406-दानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 101-दानिकी, लघु शीर्ष 101-वन संरक्षक, विकास वन्य प्राणी, उप शीर्ष 44-इको-विकास, वन्य प्राणी शीर्ष एवं जागरूकता	नजदीकी	19P240601101440103	80.000	80.000
	आदूति एवं सामग्री	19P240601101440323	120.000	120.000
कुल स्वीकृत राशि-(दो करोड़ रुपये)			200.000	200.000

8. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित प्रियरणी के अनुसर होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

9. स्वीकृत की जा रही राशि का आदेन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मन्त्रदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निशेखण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह छी पौँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2661, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अदस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

44/स्वीकृत
विवरणी

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ; यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी वरिस्तेति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यट नहीं किया जायेगा तथा वित्ती एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे यों से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं देत्तीय नियमों के आलोक में की जायेगी।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचेत महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक विस्तृय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

~~राज्यपाल~~
(ए० क० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक -4/यो० बजट-46/2015 44/व्य० व०प०/रौची, दिनांक-03.11.2015
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रौची / विकास आद्यक्त, झारखण्ड, रौची / योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रौची / सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस ट्रिभाग, झारखण्ड, रौची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रौची / अपर प्रधान मुख्य वन लरक्षक, विकास, झारखण्ड, रौची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~राज्यपाल~~
(ए० क० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक -4/यो०ब०-46/2015 41/व्य० व०प०/रौची, दिनांक-03.11.2015
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषांग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~राज्यपाल~~
(ए० क० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

शब्द 2-4

दिनांक तारीख 2015-16 में वार्षिकीय विकास, दन्त्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता" योजना
अंतर्गत प्रस्तावित भागिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्य क्रियाकलाप	समिति/ प्रमुख ली सं०	दर प्रति समिति/ प्रमुख	कुल राशि (लाख रु०)	निकासी एवं व्यवन वदाधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	इक और दो समिति द्वारा उत्तरार्द्ध की व्यवस्था, सालर जालटन का वितरण, सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सेलाई सुविधा, कृषि उपकरण, दृष्टिशोण एवं अन्य उपकरणों का लाई	450 समिति	रु० 35000/- प्रति समिति	157.500	1. DFO, WL Div, Ranchi 2. DFO, WL Div, Hazaribagh 3. DFO, Core Area, Palamu TP, Medinipur 4. DFO, Buffer Area, Palamu TP, Medinipur 5. DFO, Elephant Proj, Jamshedpur
2.	दन्त्य प्राणी विकास एवं जागरूकता कार्य हेतु और स्मारकीय संरचनाओं महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में उद्योगार्थ उत्तर-उत्तरांश के निकासी एवं आनंद जनना का प्रतिवित करना एवं जागरूकता फैलाना।	36 वन प्रमुख	रु० प्रमुख प्रति वन प्रमुख	40.392	1. DFO, WL Div, Ranchi 2. DFO, WL Div, Hazaribagh 3. DFO, Core Area, Palamu TP, Medinipur 4. DFO, Buffer Area, Palamu TP, Medinipur 5. DFO, Elephant Proj, Jamshedpur 6. DFO, Ranchi Div, Ranchi 7. DFO, Simdega Div, Simdega 8. DFO, Gumla Div, Gumla 9. DFO, Lohardaga Div, Lohardaga 10. DFO, Khunti D v, Khunti 11. DFO, Hzo East Div, Hzo 12. DFO, Hzo West Div, Hzo 13. DFO, Kedarma Div, Kedarma 14. DFO, Chatra North Div 15. DFO, Chatra South Div 16. DFO, Medinipur Div, Medinipur 17. DFO, Latehar Div, Latehar 18. DFO, Garhwa North Div, Garhwa 19. DFO, Garhwa South Div, Garhwa 20. DFO, Dumka Div, Dumka 21. DFO, Jamtara Div, Jamtara 22. DFO, Pakur Div, Pakur 23. DFO, Sambalpur D v, Sambalpur 24. DFO, Deoghar Div, Deoghar 25. DFO, Godda Div, Godda 26. DFO, Chhatra Div, Chhatra 27. DFO, Seraikela Div, Seraikela 28. DFO, Kothan Div, Kothan 29. DFO, Porehat Div, Chhatra 30. DFO, Saranda Div, Chhatra 31. DFO, Jamshedpur D v, Jamshedpur 32. DFO, Bokaro Div, Bokaro 33. DFO, Ramgarh Div, Ramgarh 34. DFO, Dhanbad Div, Dhanbad 35. DFO, Giridih East Div, Giridih 36. DFO, Giridih West Div, Giridih
3.	उन दृष्टों जे रक्षाध्यक्ष कार्य।			1.500 0.508	1. DFO, Hzo East Div, Hzo 2. DFO, Hzo West Div, Hzo
				200.000	
	संग्रह				

प्रधान मुख्य वन सरकार, झारखण्ड राज्य।